[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तैयार है, झारखंड वालों का आन्दोलन तैयार है और भी न जाने कितने तैयार हैं। अगर इन तमाम चीजों को रोकना है तो वह एक ही प्रकार हो सकता है कि देश में संघीय शासन की स्थापना की जाय, देश को चार छः रीजन्स में बांट दिया जाय और प्रान्तों की चाहरदीवारी को समाप्त किया जाय।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं एक दो जरूरी बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। अब वक्त नहीं है। आर्डर, आर्डर।

राजा महेन्द्र प्रताप : आप पंजाब में खून बहाना चाहते हैं और जो मैं सुलह की बात कहना चाहता हूं उस को आप सुनना नहीं चाहते।

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की स्थिति के बारे में कल शाम को मैंने यहां एक वक्तव्य दिया था। उस के बारे में यहां जो चर्चा हुई उसका मैं स्वागत करता हूं। स्पष्ट बात यह है कि इसके बारे में मैं कोई लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं चाहता था क्योंकि चर्चा के दौरान में कई बातें ऐसी कही जा सकती हैं जो सिर्फ यहां पर हमें ही नागवार न गुजरें बल्कि बाहर भी कई लोग उन से बुरा मान जायें। इस मसले ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसका फैसला हम सिर्फ दलीलों से नहीं कर सकते। हमें लोगों की भावना का भी ध्यान रखना है और जो कुछ बात हम कहें वह हमें समझ बूझ कर कहनी है यद्यपि केवल भावना से कोई समस्या हल नहीं होती।

मैंने कल खुलासा तौर पर यह कहा था कि पंजाबी सूबे के नाम पर पंजाब का और आगे बंटवारा रोकने के क्या कारण हैं। यह मसला हमारे आगे कई बरसों से रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने पुरानी बातें कही हैं। मैं इतनी पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। पिछले चुनावों से पहले यानी करीब पांच साल पहले यह सवाल हमारे सामने आया जिसके फलस्वरूप हमने प्रादेशिक सूत्र बनाया। पिछले करीब एक साल से यह समस्या हमारे आगे बराबर आती रही है और मैंने इस पर काफी सोचा है और मैं कैबीनेट के अपने साथियों से भी राय लेता रहा हूं। मैं ने पंजाब सरकार और मुल्क के और साथियों से मशविरा किया है। हम ने सिर्फ सिद्धान्तों के लिये नहीं बल्कि इस से पैदा होने वाले नतीजों पर भी विचार किया है। हमें इन्सानों के हित का सदैव ध्यान रखना चाहिये। खास तौर से जब लाखों इन्सानों का सवाल सामने हो। इसलिये इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही हम ने यह फैसला किया है।

मैं बहुत आगे की बात तो नहीं कह सकता लेकिन निकट भविष्य में मैं समझता हूं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम अपना निर्णय बदलें।

जब हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बीच में कहीं गरमागरमी हो जाये। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन चौदह सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया उन में से सिर्फ तीन ने पंजाबी सूबे की पैरवी की। ये सब लोग चाहते तो कुछ भी कह सकते थे। इस से भी दिलचस्प बात यह है कि यहां उपस्थित सैकड़ों सदस्यों में से किसी पंजाबी या पंजाब के पड़ौसी ने या किसी सिख या आधे सिख ने पंजाबी सूबे का समर्थन नहीं किया। जिन ने समर्थन किया और उन्हें पूरा हक था कि वे समर्थन करते, वे पंजाब से बहुत दूर के रहने वाले हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है।

†मूल अंग्रेजी में

असली जानकारी लम्बी लम्बी किताबें पढ़ने या अखबार पढ़ने से नहीं होती बल्कि लोगों के सम्पर्क में आने से होती है। मानों उन की नब्ज़ पर हाथ रख कर यह पता लगता है कि उन के मन में क्या है। वर्ना हम एक अलग से एकान्त वातावरण में रहते हैं और यह समझते हैं कि हम किसी सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं जबकि हम यह नहीं देखते कि किसी खास हालत में वह लागू होता है या नहीं। अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि पंजाब से या सिखों से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति ने उस मामले में सरकार की नीति का पूरा समर्थन किया है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा : उन के लिये ह्विप जारी किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ह्विप के बगैर भी लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं। वह और भी बुरी बात है। अगर वोट देने का मौका आयेगा तो लोग वोट देंगे। ह्विप में यह तो नहीं कहा जाता कि आप एक खास तरीक़े से बोलें। यदि हम ऐसा भी मान लें तब भी विषय की जानकारी के बिना इस तरह बोलना आसान नहीं है। पंजाब का मसला काफी बड़ा है, सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण से हमें इस के हर पहलू पर और उस के नतीजे पर ग़ौर करना चाहिये। मैं उन सदस्यों का भी स्वागत करता हूं जिन ने सरकारी नीति से असहमति प्रकट की है किन्तु मुझे तो यह आशा थी कि वे युक्तियुक्त ढंग से और तर्क से अपनी बात कहेंगे किन्तु ऐसी बात मुझे उन के भाषणों में नहीं मिली।

उन्होंने गलत सिद्धान्तों से आरम्भ किया और कहने लगे "हमने भाषायी राज्यों का सिद्धान्त मान लिया है। हमने इसे गुजरात और महाराष्ट्र तथा नागालैण्ड में इतनी मुसीबतों के बाद भी इसे स्वीकार किया है और अब हम इसे क्यों नहीं मानते?" यह एक असत्य समीक्षा है। भाषायी राज्यों के लिये मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। इस बात में तो कोई सन्देह नहीं कि हमने इस सिद्धान्त को माना है और यह आज नहीं बल्कि चालीस साल पहले हमने कांग्रेस में मान लिया था। उस मसय मेरी तो क्या हस्ती थी। मैं तो सिर्फ एक नौजवान था। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने यह बात मानी थी कि हमारा शासन जनता की भाषा में होना चाहिये। यही हमारा उद्देश्य था। अपनी अपनी संस्था से आगे बढ़ कर जनता तक पहुंचना चाहते थे चाहे वह नेशनल कांग्रेस हो या लिबरल लीग जिस के लोग सिर्फ अंग्रेजी में बोलते थे और ऐसे लोगों के आगे बोलते थे जो कुछ अंग्रेजी समझते थे कुछ नहीं समझते थे फिर भी वे फ्राक कोट पहनते थे और टोप लगाते थे।

चालीस वर्ष हुए गांधी के मार्ग दर्शन से भारत में एक क्रांति हुई जिससे हम ने भाषा के सवाल को महत्व दिया और हमने सोचा कि भाषायी राज्य अधिक उन्नति कर सकेंगे। उस समय क्षेत्रीय राजनीति का सवाल नहीं था। लोग जनता की भाषा में शिक्षा और शासन की दृष्टि से ऐसा कहते थे ताकि जनता उन्हें समझ सके। लोग ब्रिटिश राज्य से अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहते थे जिसमें कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीय मिल कर अंग्रेजी भाषा में हुकूमत करते थे और जनता से वे बिल्कुल अलग थे। उस जमाने में बड़े बड़े जन समुदाय के आगे मैं जनता की भाषा में ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ता था। उसी समय से भाषायी विचार आरम्भ हुए।

१९२१ और १९२२ में कांग्रेस ने आंध्र प्रान्त को स्वीकार किया था। एक व्यक्ति के अनशन के कारण ऐसा नहीं हुआ। यह तो १९२१ में ही मान लिया गया था। कांग्रेस के संविधान में उसे एक प्रान्त बना दिया गया। मुझे अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहीं ग़लती की हो किन्तु जहां तक आन्ध्र प्रान्त की का सम्बन्ध है, वह १९२१ में ही तय हो चुका था ।

जो दिक्कत हमारे सामने आई थी वह मद्रास शहर के लिये आई थी जिसे तमिल और आंध्र दोनों क्षेत्र के लोग मांगते थे । हम ने उनसे कहा "आप इसे आपस में तय कर लीजिये । हम आपको मजबूर नहीं कर सकते । हमें मद्रास नगर को तमिल या आंध्र क्षेत्र में मिलाने का हक नहीं है । आप खुद तय कर लें ।" उसी समय एक व्यक्ति ने अनशन आरम्भ कर दिया । उससे पहले ही आंध्र और तमिल नेताओं में समझौता हो गया था । उनकी मृत्यु से पहले ही .....

†**कुछ माननीय सदस्य :** श्री पोत्ती श्रीरामलू की .....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह प्रश्न तय हो चुका था । यह अनशन के कारण तय नहीं हुआ था बल्कि अनशन से तो अड़चन पड़ गयी थी । सिर्फ विस्तार की बातें तय करनी थी और इसी बीच में उनका अनशन आरम्भ हो गया था ।

इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र का प्रश्न लीजिये । कुछ सदस्यों की याददाश्त कमजोर है । इसका अफसोस है । हो सकता है कि इस मसले में सरकार ने ग़लती की हो । हमने तो एक बिल पेश किया था जिसमें तीन राज्यों का विधान था—महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई नगर राज्य । हमारा यही फैसला था ।

इससे कुछ सदस्य खुश नहीं थे और अन्त में २७२ सदस्यों ने एक मेमोरेंडम पर दस्तख़त किये । श्री अशोक मेहता उसमें अगवा हुए थे और दूसरों ने अपनी सहमति दी थी । साम्यवादी दल को छोड़ कर सब दलों के सदस्यों ने सहमति दी थी । २७२ काफी बड़ी संख्या थी । उनमें कई गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी थे और मैं असमंजस में पड़ गया क्योंकि हम तो एक बिल पेश कर चुके थे । साथ ही मैं मंजूर करता हूं कि उस बिल से मुझे कोई खुशी नहीं थी और इस नये मूव का मैंने स्वागत किया । मैंने समझा कि यह सभी की राय है । लेकिन मैंने सही नहीं समझा क्योंकि उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में झगड़े शुरू हो गये । जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी । संसद में एकदम से यह परिवर्तन हो जाने से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया और झगड़े शुरू हो गये । उस समय हम चाहते तो यह थे कि गुजरात और महाराष्ट्र बन जाता और बाद में यदि बम्बई नगर निगम का बहुमत यह चाहता तो महाराष्ट्र में मिल सकता था । उस समय हम इस बात पर दबाव नहीं डालना चाहते थे ।

उस समय समस्त महाराष्ट्र में भी लोगों की यही राय थी कि महाराष्ट्र एक अलग क्षेत्र है । गुजरात के लोग कहते थे कि गुजरात एक अलग क्षेत्र है और इसका कोई विरोध नहीं था ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : कृपया विदर्भ के लोगों को इस में न मिलाइये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** डाक्टर अणे का कहना ठीक है । विदर्भ या विदर्भ के एक भाग ने सदैव अलग मांग रखी है । फिर भी मैं यह बता रहा हूं कि पंजाब का सवाल इन समस्याओं से बिल्कुल अलग है । मैं भाषा विज्ञान की बात करना नहीं चाहता । जहां तक रहन सहन, बोली, खानपान आदि का सम्बन्ध है, सारे पंजाब में एकता है चाहे वह हिन्दू हो या सिख या मुसलमान, हालांकि अब वहां मुसलमान बहुत कम हैं । वहां भाषा या मजहब के वे सवाल नहीं हैं जो भारत में और जगह हैं । यह सही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम भाषा के बारे में इतनी बातें करते हैं। पहले तो वहां ऐसा कोई नहीं करता था। पंजाबी वहां की भाषा थी। यह ठीक है कि हरियाने में हिन्दी बोली जाती है। झगड़ा तो लिपि से पैदा हुआ। बोली जाने वाली भाषा के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान में न तो हिन्दी लिपि वहां थी और न गुरुमुखी। वहां फारसी लिपि का इस्तेमाल होता था। वही सरकारी और लोकप्रिय तथा पढ़ाई जाने वाली लिपि थी।

हमारे मित्र अकाली नेता भी उर्दू में लिखते थे। वही उन ने सीखी थी। उनने गुरुमुखी भी सीखी लेकिन जब वे मुझसे बातें करते थे और नोट लेते थे तो उर्दू में लिखते थे। मैंने स्वयं इसे देखा है। लेकिन बेचारी उर्दू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। खैर, यह एक अलग मसला है।

फिर भी यह चीज रोजमर्रा इस्तेमाल की है। अकालियों और हिन्दुओं के अखबार उर्दू जबान में और उर्दू लिपि में निकलते हैं। यह एक अजीब बात है। दोनों अपनी अपनी दलीलें उर्दू में देते हैं जो पंजाब की एक धरोहर है। यह सब होते हुए भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पंजाबी पंजाब की प्रमुख भाषा है।

जब मैं इसे प्रमुख भाषा कहता हूं तो इसके मानी यह हैं कि इसमें बोलियां चाहे अलग अलग हों लेकिन भाषा एक है। अगर मैं पन्द्रह दिन पंजाब में रहूं तो मैं इसे समझने लग जाऊंगा। उसकी एक वजह यह भी है कि बचपन में मैं पंजाब जाया करता था। मैं भी तो आधा पंजाबी हूं।

†**श्री त्यागी** : नहीं, नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा मतलब यह है कि मेरी मां पंजाब की रहने वाली थी। वह इस पंजाब की नहीं बल्कि जो अब पाकिस्तान में रह गया यानी लाहौर की थीं। इसलिये मैं इसे आसानी से समझ सकता हूं। उसमें आधी तो हिन्दी है सिर्फ उच्चारण का भेद है। हिन्दी और पंजाबी वहां असंख्य लोगों की भाषायें हैं।

जैसा यहां बार बार कहा गया है पंजाब में हिन्दू और सिख को अलग करना बहुत मुश्किल है। हजारों परिवार आधे हिन्दू और आधे सिख हैं। वहां हिन्दू भी गुरुद्वारे में जाते हैं और सिख गुरुओं और गुरु ग्रन्थ साहब का आदर करते हैं। वे तो एक ही ताने बाने में बने हुए हैं। उन्हें अलग करने से तो वह वस्त्र ही छिन्न भिन्न हो जायगा। हमें इसका खतरा है।

सरदार हुकम सिंह ने कहा है हमें आज जो स्थिति है उस पर विचार करना चाहिये, पहले चाहे जो होता रहा हो। आज यदि हम बंटवारा कर दें तो उसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। श्री गोरे ने भी नतीजों के बारे में कहा है। उन ने शायद दंगे फसाद के खतरे को सोचा है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक तो एक जाति के दो टुकड़े करना है। यह एक भयानक चीज़ है।

इसलिये मैंने इसका विरोध किया है। माननीय सदस्यों की यह धारणा ठीक है कि मैं नरमी से काम लेता हूं और कभी दबाव पड़ने पर झुक जाता हूं। जहां जरूरत हो, मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं लोगों को अपनी ओर खींचना पसन्द करता हूं। मैं उस सख्त लकड़ी की तरह सीधा खड़ा नहीं रहता जो झुक नहीं सकती लेकिन जहां सिद्धान्त का प्रश्न है वहां मैं कभी नहीं झुकता। अन्यथा इस देश में आप नरमी के बिना और लोगों को अपनी ओर खींचे बिना हुकूमत नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह सब होते हुए भी मैं पंजाब के इस बंटवारे के लिये अपने आप को राज़ी न कर सका। इससे वहां का सामाजिक जीवन ही टूट जायेगा। पांच छः महीने बाद ही चुनाव आ रहे हैं। मैं इस प्रश्न को चुनाव से अधिक महत्व देता हूं। थोड़ी बहुत सीटें जीतने या हारने का सवाल नहीं है। पिछले सौ वर्ष से पंजाब प्रान्त चल रहा है। उसका अपना जीवन, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा है। जहां कभी भी पंजाबी जाता है, चाहे वह हिन्दू हो या सिख, वह अपने साथ पंजाबीपन लेकर जाता है दो पंजाबी चाहे लन्दन में मिलें वे पंजाबी में बात करेंगे। यही हाल अमरीका, सिंगापुर और सब जगह है। आप वहां यह भेद नहीं कर सकते कि यह हिन्दू पंजाबी है और यह सिख पंजाबी। यह एक अच्छी बात है और पंजाबी सूबा बनने से सैकड़ों बरसों की यह एकता छिन्न भिन्न हो जायेगी। भाषा की दृष्टि से यह एक क्षेत्र है, सामाजिक दृष्टि से, रहन सहन और मेल जोल की दृष्टि से भी। आप इसे तोड़ना चाहते हैं इस बात से वाकई मुझे दुःख पैदा होता है।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में शुरू में ही उल्लेख किया गया है। इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि दर असल बात यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस मसले पर, पंजाबी सूबे, के बारे में उस वक्त भी विचार किया था जबकि लोग इस सवाल को ले कर इतने उत्तेजित नहीं थे जितने कि वे आज हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी सोच विचार के बाद जो तर्क उन्हों ने रखा है वह यह है कि वर्तमान पंजाब के टुकड़े करना ठीक नहीं है और यह हर आदमी के लिये हानिकारक है। यह बात महत्वपूर्ण है वर्ना वे कोई ऐसी बात नहीं कहते जिस का पालन कि आज हम कर रहे हैं अथवा जिस पर जमना आज हमारे लिये जरूरी है। तीन योग्य व्यक्तियों ने इस मामले की जांच की और वह जांच भी उस समय की जबकि किसी भी ओर से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था और अन्त में वे इस नतीज़े पर पहुंचे। मैं माननीय सदस्यों को सलाह दूंगा कि अगर उन के पास कुछ समय हो, कुछ वक्त हो तो वे उस अध्याय को पढ़ें। इस में कोई अधिक वक्त नहीं लगेगा यही दस या १५ मिनट लगेंगे। यह अध्याय बहुत ही तर्क युक्त है इस में यह दिखाया गया है कि पंजाब की हालत क्या है, पंजाबियों की, हिन्दुओं की, सिखों की तथा और दूसरे लोगों की जिन्दगी कितनी एक दूसरे से मिली जुली है। आप उन को अलग नहीं कर सकते। यही एक खास बात है। वहां पंजाब में जो कुछ हुआ है——सवाल इस वक्त पंजाबी सूबे का ही नहीं है—— यह बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ वहां हुआ है उस से पंजाब के लोगों की आपसी एकता पर काफी आघात पहुंचा है। लोग हिन्दू-सिख एकता की बात करते हैं——इसी तरह की और भी बातें करते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है——लोग ठीक इस के खिलाफ बर्ताव कर रहे हैं। मेरा मंशा किसी पर कोई आरोप लगाने का नहीं है। लेकिन असल बात तो यह है कि एक ओर तो अकाली दल और दूसरी ओर कुछ हिन्दू संगठन इस खाई को बढ़ाने के समान रूप से जिम्मेदार हैं। दोनों ने ही भाषा अथवा कोई और ही बात ले कर नारे लगाये हैं और लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया है जोकि बहुत ही दुखदायी है और अफसोसजनक है। नतीजा यह हुआ है कि आज स्थिति ऐसी आ गई है——एक ओर तो पंजाबी सूबा की मांग है और दूसरी ओर इस मांग का ज़ोरदार विरोध है——ऐसी हालत में चाहे कोई भी सिद्धान्त भले ही वह भाषा का हो अथवा कोई और दूसरा——कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण बात है——दर असल ऐसी हालत में कुछ किया नहीं जा सकता। चाहे माननीय सदस्य, वह कोई भी क्यों न हो, कुछ भी क्यों न कहे, ऐसी हालत में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालत ऐसी है कि सारे पंजाब में संकट उत्पन्न किये बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इस के अलावा भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। यह बात दूसरी है। यह स्पष्ट है कि यह मामला महाराष्ट्र और गुजरात जैसा नहीं है। यह वह राज्य है जहां हर आदमी को, हर

परिवार को तकलीफ पहुंची है । पंजाब भी उसी तरह भाषायी क्षेत्र है जिस तरह कि भारत के और राज्य हैं, कुछ अल्प भाषाओं वाले क्षेत्रों से कुछ मानों में अच्छा भी है, मैं मानता हूं कि हरयाना प्रान्त में कुछ लोग हिन्दी बोलने वाले हैं उन की मातृभाषा हिन्दी है । लेकिन मोटे तौर पर देखा जाय तो पंजाब एक भाषायी क्षेत्र है और यह भी भाषायी सिद्धान्तों का पालन उसी प्रकार कर रहा है जिस प्रकार कि वे निर्धारित किये गये थे । आप किसी गांव अथवा परिवार को इस प्रकार अलग अलग नहीं कर सकते । फिर इस के अलावा एक बात यह भी तो है कि यहां सामाजिक एकता है जोकि लोगों में भरी हुई है, उस की गहरी जड़ है और वह लोगों में और भी गहरी होती जा रही है ।

इस तरह लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया गया है । दूसरी स्थितियों में वजूहात भले ही कुछ दूसरे हों, लेकिन इस समय कुछ करना मुसीबत को न्यौता देना है । मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन अगर पंजाबी सूबा बन गया, मैं उस में रहना तो निश्चय ही पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी आदमी चाहे वह मंत्री हो अथवा कोई और जिस के पास भी अधिकार होगा उसे वहां के बहुमत के विरोध का सामना करना पड़ेगा । चाहे वह विरोध बहुत अधिक हो या कम । ऐसी हालत में जबकि ४५ प्रतिशत जनता आप का विरोध करती हो काम करना बड़ा मुश्किल है । वह बात दूसरी है कि वह विरोध भाषा के आधार पर है अथवा साम्प्रदायिकता के आधार पर । लोग बराबर विरोध करते रहेंगे । पंजाबियों में बहुत से गुण हैं लेकिन साथ ही वे झगड़ालू भी हैं । वे आपस में लड़ते रहते हैं ।

श्री गोरे ने राजनीतिज्ञता की दुहाई दी है । मैं उन से कहूंगा कि वह राजनैतिज्ञता के आधार पर इस समस्या का समाधान करें । मैं समझता हूं कि वह नहीं किया जा सकता । मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा करना मुसीबत को बुलाना है । पंजाबी राज्य या पंजाबी सूबा अगर बन भी गया तो एक मुसीबत बन जायेगी । मैं तो समझता हूं कि पंजाबी सूबा बनना संभव नहीं है । इस के बनने के बाद लोगों का आव्रजन शुरू हो जायेगा । क्या हम फिर उस अनुभव का सामना करना चाहते हैं । किसी चीज का विभाजन करना आसान है । संसद यह कार्य कर सकती है ; लेकिन यह किया जा सकता है ऐसा करना शांतिपूर्ण ढंग से हो तभी अच्छा है । अधिक लोगों की राय से हो तभी अच्छा है । आप विभाजन नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही विभाजन होगा मुसीबतें शुरू हो जायेंगी । वहां पर जो दुर्घटनायें आयेंगी उन को ठीक करने में काफी समय लग जायेगा । बहुत सी जातियों को आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की चोटें पहुंचेंगी । आप ही देखिये कि इस विभाजन के परिणाम ऐसे होंगे ।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पृष्ठ भूमि का अध्ययन कर लें ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जहां तक पंजाब में पंजाबी भाषी में काम करने की बात है मैं कह सकता हूं कि वहां पंजाबी में काम हो रहा है । उदाहरण के लिये 'क्षेत्रीय फार्मूला' को ही लीजिये । भावना की दृष्टि से हम ने दोनों ही लाभ एवं हानि उत्पन्न की हैं । स्वयं में यह अच्छा है । जब क्षेत्रीय फार्मूला पारित किया था तो अकाली नेता मास्टर तारासिंह ने कहा था कि अब पंजाबी सूबे की आवश्यकता नहीं है । हम सन्तुष्ट हैं । यह घोषणा उन्हों ने सार्वजनिक रूप से की थी । लेकिन दो तीन महीने बाद ही इस का विरोध होने लगा । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं वहां गया और समझौता कराने का प्रयत्न किया । अकाली दल ने क्षेत्रीय फार्मूले के बाद अपने दल के संविधान में संशोधन भी किया था । मैं देखता हूं कि मास्टर तारासिंह पर मेरी बात का उस समय कुछ प्रभाव भी हुआ लेकिन वह थोड़े दिन के बाद ही समाप्त हो गया ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर पंजाबी क्षेत्र एंव हिन्दी क्षेत्रों की स्थापना हुई। क्षेत्रीय समितियां की स्थापना हुई। इन समितियों में पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। एक बात यह भी हुई कि इन क्षेत्रीय समितियों की कुछ दिनों तक बैठकें भी नहीं हुई। कारण इसका यही था कि वे अपने स्तर के बारे में कि वे स्वतन्त्र हैं या उनका अपना क्या स्तर है इस बारे में लग रहे। अंत में यह मामला हमारे पास आया वहां की विधान सभा के अध्यक्ष ने हमें लिखा। हमने यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा। विधि मंत्रालय ने काफी छानबीन के बाद, विस्तृत रूप से उदाहरणों का उल्लेख करके यह बताया कि ये समितियां स्वतंत्र नहीं है। ये समितियां विधान सभा की ही अंग है। लेकिन यह बात क्षेत्रीय समितियों को पसंद आयी नहीं क्योंकि वे अपना स्तर ऊंचा चाहती थी। वे चाहती थी कि उन्हें कुछ सुविधाएं दी जायें।

इन समितियों को जो विषय दिये गये थे वे महत्वपूर्ण थे। ये विषय भाषा तथा इसी प्रकार के विषयों से सम्बन्धित थे। और उनकी संख्या भी १४ थी। यह निश्चय किया गया कि पंजाबी क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों में प्रथम भाषा पंजाबी होगी तथा दूसरी भाषा हिन्दी होगी। हिन्दी क्षेत्र में, प्रथम भाषा हिन्दी तथा दूसरी भाषा पंजाबी होगी।

इस काम में देरी हुई। हमारे पूछने पर पंजाब सरकार ने बताया कि अध्यापकों की कमी है। देरी नहीं हुई है बल्कि हम अध्यापकों की तलाश कर रहे हैं। लगभग ५०,००० अध्यापकों को पंजाबी एवं हिन्दी पढ़ने के लिये भजा गया। इसलिये इस योजना को क्रियान्वित करने में काफ़ी समय लगा। दो तीन वर्ष के बाद काम ठीक ढंग से होन लगा।

इस दौरान में क्षेत्रीय (प्रादेशिक) समितियां ने बहुत सी सिफारिशें भेजी। एक ही ऐसा मामला था जिसमें हम सिफारिश को नहीं माना गया शेष अन्य मामलों में विधान सभा ने उन समितियों की सभी सिफारिशों को मान लिया था। जिन सिफारिशों को अस्वीकृत किया गया था वह हिन्दी समिति की थी। इस प्रकार पंजाबी समिति के सामने कोई कठिनाई नहीं थी।

आप देखेंगे कि जहां तक भाषा का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में कोई बात छोड़ी नहीं गई थी। प्रशासन की दृष्टि से भी यह तय किया गया था कि इस काम के लिये पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर तक पंजाबी का प्रयोग किया जायेगा और हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी का। मैं समझता हूं कि पंजाबी में प्रत्येक कर्मचारी को पंजाबी तथा हिन्दी दोनों ही पढ़ना आवश्यक था।

मैं देखता हूं कि पंजाबी की उन्नति में कहीं कोई बाधा नहीं आई। पंजाबी भाषा के लिये सब कुछ किया गया। एक पंजाबी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उन्होंने यह बात नहीं कही थी। यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाबी भाषा के लिये कुछ नहीं किया गया। जो कुछ हो सकता था वह किया गया। आज स्थिति यह है कि पंजाब के बाहर लोगों को पंजाबी सीखनी पड़ती है। पिछले ८–१० वर्ष में पंजाबी न बहुत अधिक उन्नति की है इतनी तरक्की उसने गत सौ वर्षों में नहीं की थी। इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि पंजाबी हानि उठा रहे हैं। भाषा की दृष्टि से पंजाब एक भाषायी सूबा है। वहां हिन्दी तथा पंजाबी दोनों ही भाषा वहां उन्नति कर रही हैं।

वहां क्षेत्र किस प्रकार काम कर रहे हैं, अथवा पंजाबी को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह प्रश्न उठाया गया था। इस बारे में मैंने यही सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं कुछ शिक्षा विशारद बैठ कर इस मामले का निपटारा कर लें। अतः यह मामला भाषा का बिल्कुल भी नहीं है बल्कि साम्प्रदायिकता का है। राज्य में दो उप-

विधान-मंडलों के निर्माण का अकालियों ने जो सुझाव दिया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः सन्त फतहसिंह ने मेरी बात को गलत समझा ।

विभाजन के बाद काफ़ी संख्या में लोग पाकिस्तान गये और वहां से लोग आये । ये आने वाले लोग लाखों की संख्या में पंजाब के हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र में आकर बस गये और यहां आकर उन्होंने हिन्दी बोलना और पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनकी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। पिछले आम चुनाव के दौरान में यह बात उठाई गई थी कि वे अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखाये। इससे काफी हानि हुई। इससे लोगों में मतभेद बढ़े और यह बुरी बात थी। लोगों में एक दूसरी जाति के प्रति जो विश्वास था वह उठ गया।

यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि भूख हड़तालों को किसी समस्या के हल करने के लिये जायज़ तरीका स्वीकार नहीं किया जायेगा क्यों कि यह धारणा जम गई है कि अनशन सफल रहते हैं तो देश में कठिनाइयों का कभी अन्त नहीं होगा। यह ठीक है कि महात्मा गांधी ने इसे पहलू को अपनाया था लेकिन महात्मा गांधी ने राजनैतिक समस्याओं के समाधान के लिये कभी नहीं अपनाया। जहां तक महाराष्ट्र एवं गुजरात की बात है उनका मामला तो बिल्कुल दूसरा ही है । अतः सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही की दृष्टि से हम इस उपाय को नहीं अपना सकते। वस्तु स्थिति तथा किसी उपाय के फलस्वरूप सारे भारत और विशेषतः पंजाब के लिये हुए घातक परिणामों के विचार से देखा जाये तो सरकार की नीति एक ठीक नीति है। सरकार एक दृढ़ नीति पर चल रही है, उससे पथ भ्रष्ट होने से सारे देश को हानि पहुंचेगी।

मैंने मास्टर तारासिंह तथा सन्त फतेहसिंह से अच्छी तरह बात कर ली है। उनकी बात सुन ली है। उनसे पत्र व्यवहार भी किया है उनसे अपील भी की है। और आगे भी करता रहूंगा लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं अपील करते समय महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूल जाऊंगा उसका त्याग कर दूंगा। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा में एवं बाहर सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि सरकार की नीति ठीक है और वह नीति दृढ़ है। और इससे हटना या इसका त्यागन करना देश के लिये घातक होगा।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार ३० अगस्त १९६१/८ भाद्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई